राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांकः नर्सिंग/एनआरएचएम/परि0/09/ ——  दिनांकः–

::–आदेश–::

एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक–नर्सिंग/एनआरएचएम/09/278 दिनांक– 13.7.09 को 950 जीएनएम की राज्य स्तरीय प्रतीक्षा सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को जिला आबंटित किया गया गया है । उक्त सूची में वर्गवार कटआर्फ मार्क्स से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों ने परिवेदना/अभ्यावेदन प्रस्तुत की, जिसके निस्तारण हेतु उच्चाधिकारियों की कमेठी गठित की गई ।

कमेठी द्वारा समस्त परिवेदना/अभ्यावेदनों का गहनता से परीक्षणोंपरांत निम्न चयन योग्य अभ्यर्थियों को एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला आबंटित किया जाता है ।

| क्र0 सं | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | गृह जिला | जन्म तिथि | जातिवर्ग | लिंग | प्राप्तांको का औसत प्रतिशत | आबंटित स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केशव किशोर चतुर्वेदी | नन्द लाल चतुर्वेदी | करौली | 30.06.72 | सामान्य | पु0 | 65.369 | सीएमएचओ, करौली |
| 2 | हरिओम सोमरवाल | नथमल सोमरवाल | पाली | 07.02.86 | ओबीसी | पु0 | 64.153 | सीएमएचओ, पाली |
| 3 | बलकार सिंह | लक्ष्मण सिंह | गंगानगर | 01.01.86 | ओबीसी | पु0 | 64.017 | सीएमएचओ, गंगानगर |
| 4 | विष्णु मोहन शर्मा | कैलाश चंद शर्मा | अलवर | 16.01.83 | सामान्य | पु0 | 70.348 | सीएमएचओ, अलवर |
| 5 | जोहेब हैदर | फारूक अहमद | कोटा | 12.11.82 | ओबीसी | पु0 | 64.307 | सीएमएचओ, कोटा |
| 6 | बुद्धिप्रकाश चित्तौडा | मदन गोपाल | बून्दी | 09.05.78 | सामान्य | पु0 | 65.845 | सीएमएचओ, बून्दी |
| 7 | मोहम्मद इत्तफाक मंसूरी | शफीक मोहम्मद | कोटा | 20.10.85 | ओबीसी | पु0 | 64.653 | सीएमएचओ, कोटा |
| 8 | नरेश पारेता | बाबूलाल पारेता | कोटा | 23.02.84 | ओबीसी | पु0 | 65.701 | सीएमएचओ, कोटा |
| 9 | सुधीर कुमार | रायसिंह | हनुमानगढ | 07.08.85 | ओबीसी | पु0 | 63.846 | सीएमएचओ हनुमानगढ |
| 10 | शान्ता पटेल | कोदर पटेल | बीकानेर | 18.06.80 | ओबीसी विकलांग | म0 | 54.151 | सीएमएचओ, बीकानेर |
| 11 | परवेज खान | नियाज मोहम्मद | बांसवाडा | 23.07.82 | सामान्य | पु0 | 66.923 | सीएमएचओ, बांसवाडा |
| 12 | पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत | सुरेन्द्र सिंह | झुन्झुनू | 11.07.77 | सामान्य | पु0 | 67.978 | सीएमएचओ, झुन्झुनू |
| 13 | गौतम सिंह | हरफूल सिंह | सीकर | 10.07.83 | ओबीसी | पु0 | 65.323 | सीएमएचओ, सीकर |
| 14 | हेमराज नागर | केदारलाल | बांरा | 02.07.77 | ओबीसी विकलांग | पु0 | 61.076 | सीएमएचओ, बांरा |
| 15 | भुवनेश शर्मा | भीमराज शर्मा | बांरा | 18.04.79 | सामान्य विकलांग | पु0 | 60.551 | पीएमओ, बांरा |
| 16 | प्रहलाद कुमार शर्मा | शिवचरण लाल | भरतपुर | 01.07.72 | सामान्य | पु0 | 67.069 | सीएमएचओ भरतपुर |

उक्त अभ्यर्थी से अनुबन्ध करते समय निम्न शर्तों की पालना संबंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावे:—

1— यह अनुबन्ध वित्तीय **वर्ष 2009—10** के लिये किया जाना है।

2 अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेजों से कराया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावे।

3— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे। अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज—फर्जी,/परिवर्तित,/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

4—.अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो नवीनीकृत करवाकर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही उपस्थिति ली जावे।

5—महिला अभ्यार्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिये । पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी से पिता के नाम का प्रमाण पत्र मांगा जावे। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति नही ली जावे।

6—राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नवीनीकृत होना चाहिये तथा जिसकी वैद्यता उपस्थिति प्रस्तुत करने से पूर्व समाप्त नहीं होनी चाहिये। यदि रिपोर्ट करते समय नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपस्थिति नहीं ली जावे।

7— दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी अनुबन्ध के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो, शपथ पत्र संबंधित अभ्यार्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

8— अभ्यार्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें।

9— उक्त अभ्यार्थियों को **दिनांक—30.11.2009 तक** संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी पात्रता स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।

10— अभ्यर्थी द्वारा उपस्थति प्रस्तुत करने के पश्चात उसे संबंधित चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी से अनुबन्ध किये जाने हेतु आवंटन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—एफ.1 (5)/एफडी/ रूल्स/2002 दिनांक—9.1.07 की अनुपालना में निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय द्वारा उनके परिपत्र कमांक—एफ. 20(एमपीपी)एचआरडी/एनआरएचएम/2007/700 दिनांक—9.5.07 के साथ प्राप्त व्यक्तिगत अनुबन्ध का प्रपत्र एवं प्रथम पक्ष (इस योजना के तहत जीएनएम व्यक्तिगत संविदा नियोजन होने वाली प्रार्थी) को दी जाने वाली अन्य सुविधाऐं एवं शर्तें पूर्व में जीएनएम रखे जाने के प्रथम चरण में अपनाई गई प्रकिया यथावत होगी। इनकी प्रतियां आपको पूर्व में ही भिजवाई जा चुकी है।

Sd/-
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांकः—नर्सिग/जीएनएम/एनआरएचएम/परि0/09/1818 दिनांकः— 9-11-09

प्रतिलिपि निम्न को मय विज्ञप्ति प्रति के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1—निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2—निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3—मिशन निदेशक, एनआरएचएम मुख्यालय ।
4—मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुखा चिकित्सा अधिकारी
को श्री/श्रीमती
का मूल आवेदन पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थी के पदस्थापन से पूर्व समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें ।
5—संबंधित अभ्यर्थी
6—रक्षित पत्रावली

Sd/-
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर